



परिपत्र

विषय :- पथतट/ संस्थानों आदि भूमि पर बांस गैबियन वृक्षारोपण के संबंध में दिशा- निर्देश ।

झारखण्ड राज्य में योजना मद के अन्तर्गत पथतट एवं सरकारी संस्थानों आदि में बृहत मात्रा में बांस गैबियन वृक्षारोपण कई वर्षों से किया जा रहा है, किन्तु आशा अनुरूप सफलता परिलिखित नहीं हो रही है । बांस गैबियन वृक्षारोपण की सफलता हेतु निम्न दिशा-निर्देश दिये जाते हैं ।

- (1) वर्तमान में पथतट रोपण, राष्ट्रीय राज मार्ग/ राज्य उच्च पथ में लगभग पूर्ण हो चुका है तथा राष्ट्रीय राज मार्ग एवं उच्च पथों से कसबों, ग्रामों में जो सड़के अवस्थित हैं, उनके किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है, भविष्य में इन सड़कों के भी चौड़ीकरण की संभावना है । वृक्षारोपण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रशासी विभाग यथा, पथ निर्माण/ ग्रामीण/ विशेष कार्य प्रमंडल से अनापत्ति मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक 3037 (S) दिनांक-02-05-2012 के अनुरूप प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (2) वर्तमान में वृक्षारोपण किये जानेवाले पथों की चौड़ाई काफी कम होती है और सामान्यतः पौधे बर्म के किनारे लगाये जाते हैं । अतः गद्दे खोदने पर मिट्टी को निचली तरफ (ढलान)रखा जाय ।
- (3) बांस गैबियन की जाफरी जमीनी सतह से 6 ईंच उपर फिक्स की जाय जिससे कि दीमक का प्रकोप कम होगा और वर्षा का पानी भी अवरुद्ध नहीं होगा ।
- (4) बांस गैबियन में कम से कम 5 फीट के पौधे लगाने का प्रयास किया जाये, परन्तु किसी हालत में 4 फीट से कम ऊँचाई के पौधे रोपित नहीं किये जायें । बांस गैबियन वृक्षारोपण में निम्न प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाय :-
 - (क) प्रकाष्ठ प्रजातियाँ- शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी एवं साल आदि
 - (ख) फलदार प्रजातियाँ- बीजू आम, कटहल, इमली आदि
 - (ग) जलजमाव/ निचली भूमि की प्रजातियाँ- अर्जुन, कदम्ब, जामुन आदि

- (घ) वृहद छायादार प्रजातियाँ— पीपल, बरगद, नीम, छतवन एवं करंज आदि
(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ— गुलमोहर, अमलतास, कचनार एवं जकरण्डा आदि
- (5) गाँव के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 की संख्या में फलदार पौधों रोपे जायें जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो सकें ।
- (6) पौधों का कृय वन विभाग के बाहर से नहीं किया जाये । विभागीय पौधशालाओं में लम्बे पौधों की प्रजातियाँ उपलब्ध है, उन्हीं का रोपण किया जाय ।
- (7) प्रत्येक बांस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाय जो पथ के दायीं तरफ से प्रारम्भ होकर बायीं तरफ समाप्त हो ।
- (8) प्राक्कलन में किये गये प्रावधान जैसे, गद्गद् में गोबर खाद, बालू का मिश्रण, रसायनिक खाद, पानी पटवन एवं कोड़नी-निकौनी निर्धारित मात्रा में करना सुनिश्चित किया जाय ।

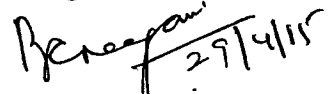
उपरोक्त निदेश का अनुपालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाय एवं वर्ष 2015 में वनरोपण के उपरांत अनुपालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को सभी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा भेजा जाय, जो इसे समेकित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित करेंगे ।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक-1505 दिनांक-1.5.15

प्रतिलिपि सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
सभी मुख्य वन संरक्षक/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक/ सभी
वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।